न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

7/25
एमएस : 2025/10
रविन्द सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 16 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)। —:वादी

बनाम

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरबंश सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 16 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण
हरलीन कौर पुत्री श्री जितेन्द्र सिंह पत्नी श्री हरमीत सिंह जाति कम्बो सिख निवासी 16 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) । — :तरतीबी प्रतिवादीया

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88—92ए—188—209राज0 काश्त0 अधि0 1955
तारीख रजू 09.01.2025

स्थितअधिवक्तागण
1. श्री प्रीतम सिंह गिल अधि. वादी।
2. श्री जगतपाल औलख अधि. प्रति.सं..1—3।

—: निर्णय :— दिनांक :30.01.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के परदादा सुबा सिंह संयुक्त परिवार के मुखिया थे जिनकी विरास्त से प्राप्त भूमियों व उनसे होने वाली कमाई से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075—2078 वाके चक 16 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 31/25 में पत्थर नंबर 156/285 मुरब्बा नंबर 45 की 3.344 है0 नहरी व 0.125 है0 खाला, पत्थर नंबर 157/279 मुरब्बा नंबर 9 की 1.556 है0 नहरी, पत्थर नंबर 157/285 मुरब्बा नंबर 44 की 0.291 है0 नहरी, पत्थर नंबर 158/278 मुरब्बा नंबर 7 की 3.998 है0 नहरी व 0.113 है0 खाला कुल खाता योग 9.627 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि अर्जित होकर दर्ज है, जिसे आगे विवादित रकबा संबोधित किया जावेगा। चूंकि विवादित रकबा प्रतिवादी संख्या 1 का स्वअर्जित नहीं न होकर जद्दी जायदाद (पैतृक सम्पति) की परिभाषा में आती है। चूंकि वादी व तरतीबी प्रतिवादीया हरलीन कौर प्रतिवादी संख्या 1 की वैद्य संतान होने से उनका जन्म से ही विवादित रकबा में प्रतिवादी सं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर—बराबर यानि प्रत्येक एक का 1/3—1/3 भाग के रकबा पर खातेदारी हक व अधिकार निहित है, जिन्हें वादी घोषित करवा पाने का विधिक अधिकार रखता है। प्रतिवादी सं. 1 ने विवादित रकबा पैतृक सम्पति होने से उसमें वादी के 1/3 भाग पर निहित हित व अधिकारों को मानते व स्वकारते हुए काफी अरसा पूर्व घरेलू तौर से बाहमी बंटवारा कर 1/3 भाग अर्थात् 3.209 है0 की बजाये भूमि की किस्म, कीमत, एकजोई काश्त, रास्ता, खाला, उत्पादन क्षमता इत्यादि को मध्यनजर रखते हुए वादी की हकरसी पूर्ण करते हुए कुछ अधिक भूमि 3.327 है0 अनुसार विवादित रकबा में से वाके चक 16 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नंबर 156/285 मुरब्बा नंबर 45 के किला नंबर 1/1 की 0.228 है0, 1/2 की 0.025 है0 खाला, 2/1 की 0.228 है0, 2/2 की 0.025 है0 खाला, 3/1 की 0.114 है0, 3/2 की 0.012 है0, 8/2 की 0.127 है0, 9 व 10 प्रत्येक 0.253 है0, 11/1 की 0.127 है0, 12 की 0.253 है0 व 13/1 की 0.126 है0 कुल 1.771 है0 नहरी एवं पत्थर नंबर 157/279 मुरब्बा नंबर 9 के किला [illegible] प्रत्येक 0.253 है0, 10 की 0.228 है0, 13/2 की 0.126 है0, 14 व 15 [illegible] 3 है0 कुल 1.556 है0 नहरी, दोनों मुरब्बाजात में कुल 3.327 है0 नहरी [illegible] भूमि का कब्जा सुपुर्द करने पर अपनी मानते हुये काफी खर्चा व शारीरिक [illegible] उसे अधिक उपजाऊ बनाया। चूंकि वादी का जन्म से ही अपने पिता प्रतिवादी [illegible] के साथ 1/3 भाग व तदानुसार हुये बाहमी बंटवारा में वादी के कब्जा काश्त में चले आ रहे रकबा पर खातेदारी हक—हकूक व अधिकार घोषित करवा खाता [illegible] करवा राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवा पाने का विधिक अधिकारी है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 कुछ अरसा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

वादी से किन्हीं घरेलू बातों व कारणों को लेकर बेहद नाराज है जिसके चलते वादी को विवादित रकबा से जबरन बेदखल कर पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) से वंचित करने की कुचेष्टा अन्तर्गत बिकवाली निकाल देने से इच्छुक ग्राहक भूमि देखने आने लग गये है और प्रतिवादी सं. 1 विवादित रकबा अति शीघ्र विक्रय कर हस्तान्तरित करने पर उतारू है, उसका उक्त कृत्य पूर्णतया अवैधानिक व गैरकानूनी है जिससे वादी जरिये व्यादेश रोक पाने का विधिक अधिकारी है। वादी के प्रतिवादी सं. 1 से निरन्तर अनुरोध करते रहने कि विवादित रकबा पर वादी के पैतृक हक अनुसार घरेलू बाहमी बंटवारा में वादी को प्राप्त रकबा पर वादी के खातेदारी हक–हकूक वा अधिकारों को स्वीकारते हुये खाता विभाजन करवा अभिलेखों में भूमि वादी के नाम से अमलदरामद करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देते हुये विवादित रकबा को खुर्द–बुर्द करने से बाज व ममनू रहे तो वह प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततः दिनांक 29.12.2024 को बमुकाम 16 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर में वादी की किसी बात को मानने से स्पष्ट रूप से इन्कार होकर धमकी दी कि विवादित रकबा प्रतिवादी सं. 1 के अकेले के नाम से दर्ज होकर होने का बेजा नाजायज फायदा उठा वादी आदि को विवादित रकबा में उसके पैतृक हिस्सा से वंचित करते हुये किसी अन्य को रहन, बेय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर कब्जा सुपुर्द करेगा, यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखास्मत है। वादी के समक्ष वांछित अनुतोष व व्यादेश प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 2 भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने से उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। दौरान वाद हरलीन कौर उपलब्ध न होने से उसे बतौर तरतीबी प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है वह जब चाहे प्रतिवादी से वादी की श्रेणी में आ सकती है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी जावे कि वाके चक 16 पी. एस तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 31/25 में पत्थर नंबर 156/285 मुरब्बा नंबर 45 की 3.344 है0 नहरी व 0.125 है0 खाला, पत्थर नंबर 157/279 मुरब्बा नंबर 9 की 1.556 है0 नहरी, पत्थर नंबर 157/285 मुरब्बा नंबर 44 की 0.291 है0 नहरी, पत्थर नंबर 158/278 मुरब्बा नंबर 7 की 3.998 है0 नहरी व 0.113 है0 खाला कुल खातायोग 9.627 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि को पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) होना घोषित करते हुये वादी के 1/3 भाग अनुसार बाहमी बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त में चले आ रही विवादित भूमि वाके चक 16 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नंबर 156/285 मुरब्बा नंबर 45 के किला नंबर 1/1 की 0.228 है0, 1/2 की 0.025 है0 खाला, 2/1 की 0.228 है0, 2/2 की 0.025 है0 खाला, 3/1 की 0.114 है0, 3/2 की 0.012 है0, 8/2 की 0.127 है0, 9 व 10 प्रत्येक 0.253 है0 11/1 की 0.127 है0, 12 की 0.253 है0 व 13/1 की 0.126 है0 कुल 1.771 है0 नहरी एवं पत्थर नंबर 157/279 मुरब्बा नंबर 9 के किला नंबर 7/2 की 0.190 है0, 8–9 प्रत्येक 0.253 है0, 10 की 0.228 है0, 13/2 की 0.126 है0, 14 व 15 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 1.556 है0 नहरी, दोनों मुरब्बाजात में कुल 3.327 है0 नहरी मय खाला पर वादी के खातेदारी अधिकार घोषित कर घोषणात्मक एवं खाता विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावें। मुताबिक घोषणात्मक व खाता विभाजन डिक्री राजस्व अभिलेखों में तदनुसार अमलदरामद करने के आदेश दिये जावें।

2. वादी द्वारा वाद पत्र पेश करने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की तरफ श्री जगतपाल औलख अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया और इसी के साथ इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष की मद संख्या क–ख–ग–घ अनुसार खाता विभाजन की डिक्री पारित की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई उजर ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 सरकार की तरफ से राजपेरोकार नायब तहसीलदार समेजाकोठी ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:–

(i) आया कि चक 16 पीएस मु.नं. 45 की 3.344 है. [illegible] 9 की 1.556 है. मु.नं. 44 की 0.291 है. मु.नं. 7 की 3.998 है., कुल 9.637 है भूमि प्रतिवादी [illegible] के नाम दर्ज रिकार्ड है जो पैतृक सम्पति है ? –:जिम्मेवादी

(ii) आया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण [illegible] का 1/3 हिस्सा बनता है जो प्राप्त करने का अधिकारी है ? –:जिम्मेवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

(iii) आया कि वादी के वादपत्र अनुसार अनुतोष स्वीकार करने पर प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है ?

–:जिम्मे प्रतिवादी

(iv) अनुतोषः–

4. वादीगण की तरफ से अपने वादपत्र के समर्थन में अरविन्द सिंह पुत्र जितेन्द्रसिंह ने दिनांक 21.11.2025 को शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया कि है कि परदादा सुबा सिंह संयुक्त परिवार के मुखिया थे जिनकी विरास्त से प्राप्त भूमियों व उनसे होने वाली कमाई से मेरे पिता प्रतिवादी जितेन्द्र सिंह के नाम से विवादित रकबा वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–2078 वाके चक 16 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 31/25 में पत्थर नंबर156/285 मुरब्बा नंबर 45 की 3.3444 है0 नहरी व 0.125 है0 खाला, पत्थर नंबर 157/279 मुरब्बा नंबर 9 की 1.556 है0 नहरी, पत्थर नंबर157/285 मुरब्बा नंबर 44 की 0.291 है0 नहरी, पत्थर नंबर 158/278 मु0 नं0 7 की 3.998 है0 नहरी व 0.113 है0 खाला कुल खाता योग 9.627 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि अर्जित किया जाने से विवादित रकबा मेरे पिता का स्वअर्जित नहरी न होकर जद्दी जायदाद (पैतृक सम्पति) की परिभाषा में आती है। मेरे पिता के वा मेरी बहन तरतीबी प्रतिवादीया हरलीन कौर वैध संतान होने से उनका जन्म से ही विवादित रकबा में अपने पिता साथ बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक एक का 1/3–1/3 भाग के रकबा पर खातेदारी हक व अधिकार निहित है, जिन्हें मिकर घोषित करवा पाने का कानूनी अधिकार रखता है। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे पिता ने विवादित रकबा के 1/3 भाग पर मेरे हित वा अधिकारों को मानते व स्वीकारते हुये काफी अरसा पुर्व घरेलू तौर से बाहमी बंटवारा कर 1/3 भाग अर्थात 3.209 है0, की बजाय भूमि की किस्म, कीमत, एकजोई काश्त, रास्ता, खाला, उत्पादन क्षमता इत्यादि को मध्यनजर रखते हुये मेरी हकरसी पूर्ण करते हुये कुछ अधिक भूमि 3.327है0 अनुसार विवादित रकबा में से वाके चक 16 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नंबर 156/285 मुरब्बा नंबर 45 के किला नंबर 1/1 की 0.22880, 1/2 की 0.025है0 खाला, 2/1 की 0.228है0, 2/2 की 0.025है० खाला. 3/1 की 0.114 है0, 3/2 की 0.012है0, 8/2 की 0.12780, 9 व 10 प्रत्येक 0.253है0, 11/1 की 0.127है0, 12 की 0.253 है0 व 13/1 की 0.126 है0= 1.771 है0 नहरी एवं पत्थर नंबर 157/279 मुरब्बा नंबर 9 के किला नंबर 7/2 की 0.190 है0, 8–9 प्रत्येक 0.253है0, 10 की 0. 228है0, 13/2 की 0.126 है0, 14 व 15 प्रत्येक 0.253 है0=1.556 है0 नहरी, दोनो मुरब्बाजात में कुल 3.327है0 नहरी मय खाला, कृषि भूमि का कब्जा मुझे सुपुर्द करने पर उसे मैने अपनी मानते हुये काफी खर्चा व शारीरिक श्रम से उसे अधिक उपजाऊ बनाया है जिस रकबा पर मैं अपने खातेदारी हक हकूक वा अधिकार घोषित करवा खाता अलग करवा राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवा पाने का कानूनी अधिकारी हूँ।चूंकि मेरे पिता कुछ अरसा से मेरे से किन्ही घरेलू बातों व कारणो को लेकर बेहद नाराज है जिसके चलते वे मिकर को विवादित रकबा से जबरन बेदखल कर पेतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) से वंचित करने की कुचेष्टा अन्तर्गत बिकवाली निकाल देने से इच्छुक ग्राहक भूमि देखने आने लग गये है, मेरे पिता विवादित रकबा अति शीघ्र विक्रय कर हस्तान्तरित करने पर उतारू है। मेरे अपने पिता से निरन्तर अनुरोध करते रहने कि विवादित रकबा पर मिकर के पेतृक हक अनुसार घरेलू बाहमी बंटवारा में मिकर को प्राप्त रकबा पर मिकर के खातेदारी हक हकूक वा अधिकारों को स्वीकारते हुये खाता विभाजन करवा अभिलेखों में भूमि मिकर विवादित रकबा को खूर्द–बुर्द करने से बाज व ममन रहे तो वह प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततः दिनांक 29–12–2024 को बमुकाम 16 पी.एस. तहसील रायसिंहगर में मिकर की किसी बात को मानने से स्पष्ट रूप से इन्कार होकर धमकी दी कि विवादित रकबा प्रतिवादी सं. 1 के अकेले के नाम से दर्ज होने का बेजा नाजायज फायदा उठा मिकर आदि को विवादित रकबा में उसके पैतृक हिस्सा से वंचित करते हुये किसी अन्य को रहन, बेय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर कब्जा सुपुर्द करेगा, इसलिये मिकर को वांछित अनुतोष व व्यादेश पाने के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद लाना पडा। मिकर का वाद बहक मिकर विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार कर वांछित अनुतोष व्यादेश प्रदान करते हुये मिकर के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री फरमाया जाना न्यायोचित है।

5. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। वाद पत्र में प्रतिवादीगण ने इकबाली दावा पेश कर वाद पत्र पैतृक भूमि के आधार पर अलग–अलग खाता विभाजन करने में सहमति दी है। इसलिए हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन आवश्यक नहीं समझते है वाद पत्र में इकबाली जवाब दावा एवं साक्ष्य वादी में प्रतिवादीगण अधिवक्ता की सहमति के आधार पर वाद पत्र में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

को चक 16 पी.एस तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 31/25 में पत्थर नंबर 156/285 मुरब्बा नंबर 45 की 3.344 है0 नहरी व 0.125 है0 खाला, पत्थर नंबर 157/279 मुरब्बा नंबर 9 की 1.556 है0 नहरी, पत्थर नंबर 157/285 मुरब्बा नंबर 44 की 0.291 है0 नहरी, पत्थर नंबर 158/278 मुरब्बा नंबर 7 की 3.998 है0 नहरी व 0.113 है0 खाला कुल खातायोग 9.627 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि को पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) होना घोषित करते हुये वादी के 1/3 भाग अनुसार बाहमी बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त में चले आ रही विवादित भूमि वाके चक 16 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नंबर 156/285 मुरब्बा नंबर 45 के किला नंबर 1/1 की 0.228 है0, 1/2 की 0.025 है0 खाला, 2/1 की 0.228 है0, 2/2 की 0.025 है0 खाला, 3/1 की 0.114 है0, 3/2 की 0.012 है0, 8/2 की 0.127 है0, 9 व 10 प्रत्येक 0.253 है0 11/1 की 0.127 है0, 12 की 0.253 है0 व 13/1 की 0.126 है0 कुल 1.771 है0 नहरी एवं पत्थर नंबर 157/279 मुरब्बा नंबर 9 के किला नंबर 7/2 की 0.190 है0, 8–9 प्रत्येक 0.253 है0, 10 की 0.228 है0, 13/2 की 0.126 है0, 14 व 15 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 1.556 है0 नहरी, दोनों मुरब्बाजात में कुल 3.327 है0 नहरी मय खाला भूमि खातेदार घोषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 53–88–92ए–209 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है** वाके चक 16 पी. एस. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नंबर 156/285 मुरब्बा नंबर 45 के किला नंबर 1/1 की 0.228 है0, 1/2 की 0.025 है0 खाला, 2/1 की 0.228 है0, 2/2 की 0.025 है0 खाला, 3/1 की 0.114 है0, 3/2 की 0.012 है0, 8/2 की 0.127 है0, 9 व 10 प्रत्येक 0.253 है0 11/1 की 0.127 है0, 12 की 0.253 है0 व 13/1 की 0.126 है0 कुल 1.771 है0 नहरी एवं पत्थर नंबर 157/279 मुरब्बा नंबर 9 के किला नंबर 7/2 की 0.190 है0, 8–9 प्रत्येक 0.253 है0, 10 की 0.228 है0, 13/2 की 0.126 है0, 14 व 15 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 1.556 है0 नहरी, दोनों मुरब्बाजात में कुल 3.327 है0 नहरी मय खाला भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है वादी उक्त भूमि में से चक 16 पीएस पत्थर नंबर 156/285 मुरब्बा नंबर 45 के किला नंबर 1/1 की 0.228 है0, 10/0.253 है0 11/1 की 0.127 है0, कुल 0.608 है0 भूमि जो दानपत्र से प्राप्त हुई है उसकी स्टाम्प डयूटी 19985/–रूपये पेश करने पर तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त भूमि रहन मुक्त होने के बाद ही निर्णय की पालना की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:24 IST
Reason: SelfAttested